दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित:13.02.2024
निर्णय उद्घोषित:19.03.2024

+ वैवा.अ.(कु.न्या.) 357/2023 व सि.वि.आ. 63060/2023

अखिलेश कुमार गुप्ता ...अपीलार्थी

द्वारा: श्री के. पी. मावी, सुश्री चित्रा गेरा व श्री दिनेश प्रताप सिंह, अधिवक्तागण

बनाम

श्रीमती गुप्ता स्निझाना ग्रिगोरोवना व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री विवेक कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता संग सुश्री भव्य भाटिया, श्रीमती निमीता कौल, श्रीमती शिवम्बिका सिन्हा एवं श्री गुरवीर लाली, प्र-1 हेतु अधिवक्तागण।
श्री कीर्तिमान सिंह, सीजीएससी संग श्री वाइज़ अली नूर, सुश्री श्रेया वी. मेहरा, सुश्री विधि जैन एवं श्री कार्तिक बैजल, भारत संघ हेतु अधिवक्तागण।
सुश्री महक नाकरा, संग अति.स्था.अधि. (सिविल) संग सुश्री दिशा चौधरी एवं श्री अभिषेक खारी, प्र-5 हेतु अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

न्या. अमित बंसल:

1. वर्तमान अपील दिनांक 23 नवंबर, 2023 को विद्वान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद "कुटुम्ब न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने के लिए दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी/पिता (जिसे इसके बाद "अपीलार्थी" के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर से अपीलार्थी के बेटे की अभिरक्षा कि मांग करते हुए दायर की गई संरक्षकता याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2. वर्तमान अपील को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

2.1. अपीलार्थी का विवाह प्रत्यर्थी सं.1 से दिनांक 18 नवंबर, 2000 को यूक्रेन के विनीत्सिया शहर में हुआ था। उक्त विवाह से दो बच्चों का जन्म हुआ; दिनांक 24 नवंबर, 2002 को एक लड़की तथा दिनांक 12 फरवरी, 2019 को एक लड़के का। दोनों बच्चों का जन्म यूक्रेन में हुआ था और इस प्रकार वे जन्म से यूक्रेन के नागरिक हैं।

2.2. तत्पश्चात, पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो गया और प्रत्यर्थी सं. 1 ने विवाह विघटन की मांग करते हुए विन्नित्सिया जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यूक्रेन के विन्नित्सिया जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 6 मई, 2021 को पारित निर्णय के तहत विवाह विघटित कर दिया गया।

2.3. अपीलार्थी ने अपने नाबालिग बेटे के संबंध में मुलाकात के अधिकार की मांग करते हुए विनीत्सिया नगर परिषद की कार्यकारी समिति से संपर्क किया, जिसे दिनांक 15 जुलाई, 2021 के निर्णय के तहत अनुमति दी गई। उक्त निर्णय के अनुसार, अपीलार्थी को अपर्यवेक्षित मुलाकात की अनुमति से पूर्व दो महीने की अवधि के लिए पर्यवेक्षित मुलाकात की अनुमति दी गई थी ।

2.4. दिनांक 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया। अपीलार्थी दिनांक 23 मार्च, 2022 को नाबालिग बेटे को यूक्रेन से ले आया तथा दिनांक 28 मार्च, 2022 को भारत पहुंचा। नाबालिग बच्चा उस समय लगभग तीन वर्ष का था।

2.5. इसने प्रत्यर्थी संख्या 1 को भारत आने के लिए प्रेरित किया तथा दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अर्थात रि.या.(आप.) सं.2537/2022 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी नाबालिग बच्चे को पेश करें। दिनांक 28 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने नाबालिग बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा अपीलार्थी से प्रत्यर्थी संख्या 1 को हस्तांतरित कर दिया, बशर्ते कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपना पासपोर्ट और नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट वसंत कुंज थाने के थानाध्यक्ष (एसएचओ) के पास अभ्यर्पण कर दे। यह भी निर्देश दिया गया कि नाबालिग बच्चे को इस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।

2.6. उपरोक्त रिट याचिका का दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को निपटान किया गया था, जिसमें विदित था कि उक्त याचिका में मांगी गई राहत, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले ही दे दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग बच्चे के संबंध में अंतरिम अभिरक्षा या मिलने के अधिकारों के विवाद्यक को संबंधित कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए एवं अपीलार्थी को उपयुक्त न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 को अगले तीन सप्ताह यानी दिनांक 10 नवंबर, 2023 तक देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया।

2.7. उपरोक्त स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने नाबालिग बच्चे की स्थायी अभिरक्षा के अनुदान की मांग करते हुए कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 व 25 के तहत सं.या. सं. 58/2023 के रूप में एक संरक्षकता याचिका दायर की।

2.8. उक्त याचिका में अपीलार्थी ने यह भी राहत मांगी कि प्रत्यर्थी सं. 1 एवं नाबालिग बच्चे को देश छोड़ने से अवरोधित किया जाए। दिनांक 7 नवंबर, 2023 के आदेश के माध्यम से, कुटुम्ब न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 को उक्त याचिका में अपना उत्तर दायर करने का निर्देश दिया तथा मामले को दिनांक 17 नवंबर, 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। हालांकि, कुटुम्ब न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 को अपने नाबालिग बच्चे के साथ देश छोड़ने से रोकने के लिए अंतरिम राहत नहीं दी।

2.9. अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वैवा.अ.(कु.न्या.) सं. 337/2023 के तहत अपील दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। उक्त अपील का निपटान समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2023 के आदेश के तहत किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की इस प्रस्तुति को अभिलिखित किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि यानी दिनांक 17 नवंबर, 2023 तक अपने पासपोर्ट के साथ-साथ नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट की रिहाई की मांग नहीं करेगी।

2.10. प्रत्यर्थी सं. 1 ने दिनांक 17 नवंबर, 2023 को कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष लंबित संरक्षकता याचिका पर अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसने क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी का मुद्दा उठाया।

2.11. कुटुम्ब न्यायालय ने दिनांक 23 नवंबर, 2023 के आक्षेपित निर्णय के तहत संरक्षकता याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कुटुम्ब न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है।

3. इसलिए, वर्तमान अपील कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23 नवंबर, 2023 के उपरोक्त निर्णय को आक्षेपित करते हुए दायर की गई है।

4. वर्तमान अपील में दिनांक 6 दिसंबर, 2023 को नोटिस जारी किया गया था।

5. कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2023 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय के बाद, प्रत्यर्थी सं. 1 ने निपटाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका [रि.या.(आप.) 2537/2022] में एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपने और अपने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट को निर्मुक्त करने की मांग की।

6. न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 का पासपोर्ट निर्मुक्त करने का निर्देश दिया और प्रत्यर्थी सं. 1 को दिनांक 21 दिसंबर, 2023 के आदेश के तहत यूक्रेन लौटने की स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि, यह निर्देश दिया गया कि नाबालिग बच्चा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा, जहां कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23 नवंबर, 2023 के निर्णय के प्रति अपील लंबित थी, यानी यह न्यायालय।

7. उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी सं.1 का पासपोर्ट दिनांक 22 दिसंबर, 2023 को थानाध्यक्ष, थाना वसंत कुंज द्वारा उसे वापस कर दिया गया।

8. दिनांक 22 दिसंबर, 2023 को पूर्ववर्ती न्यायपीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं. 1 का यह देखते हुए भारतीय वीजा बढ़ाने का निर्देश दिया था कि यह दिनांक 2 जनवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है।

9. जब दिनांक 3 जनवरी, 2024 को इस न्यायपीठ के समक्ष अपील सुनवाई के लिए आई, तो प्रत्यर्थी सं.2 से 4 को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन के विन्नित्सिया में मौजूदा स्थिति के संबंध में शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया। प्रत्यर्थी सं.1 के भारतीय वीज़ा को छह सप्ताह की अवधि के लिए बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया।

10. उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, भारत के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के विन्नीत्सिया की स्थिति के संबंध में दिनांक 25 जनवरी, 2024 को एक शपथ पत्र दायर किया।

11. दिनांक 29 जनवरी, 2024 को अपीलार्थी को मुकदमे के खर्च के लिए इस न्यायालय की रजिस्ट्री में 1,50,000/- रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गई, जिसने दावा किया कि वह उक्त राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है।

12. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के. पी. मावी ने प्रस्तुत किया कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखे बिना क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर अपीलार्थी की संरक्षकता याचिका को खारिज कर त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही नाबालिग बच्चे को किसी अन्य देश से लाया गया हो, भारत के न्यायालयों को बच्चे के कल्याण को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए और किसी विदेशी न्यायालय का आदेश केवल विचार किए जाने वाले कारकों में से एक होगा। इस संबंध में, ***जसमीत कौर बनाम नवजोत सिंह***, (2018) 4 एससीसी 295 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

13. यह प्रतिविरोध किया गया है कि मार्च, 2022 में रूस एवं यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के कारण यूक्रेन में स्थिति गंभीर रही है और नाबालिग बच्चे को यूक्रेन वापस ले जाना और वहां रहना उसके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। यूक्रेन में युद्ध के विनाशकारी प्रभाव को दिखाने के लिए विभिन्न सतर्कता, सलाह एवं समाचार रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक कोहली ने प्रस्तुत किया कि कुटुम्ब न्यायालय ने सही रूप से यह पाया है कि अपीलार्थी की ओर से दायर याचिका पर विचार करने के लिए

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 के अनुसार उनके पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है। इस संबंध में ***रूचि माजू बनाम संजीव माजू***, (2011) 6 एससीसी 479 तथा ***लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली***, (2019) 7 एससीसी 311 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

15. उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी, जो यूक्रेन का स्थायी निवासी था और प्रत्यर्थी सं. 1, यूक्रेन का नागरिक था, ने यूक्रेन के नागरिक कानूनों के तहत विवाह किया था। दोनों ही बच्चे जन्म से यूक्रेन के नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के बीच विवाह यूक्रेन के कानूनों के तहत विघटित हुआ था। इसलिए, यूक्रेन का पक्षकारों के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध है और यूक्रेन के कानून पक्षकारों के बीच संबंधों को नियंत्रित करेंगे, जिसमें नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा और संरक्षकता से संबंधित सभी प्रश्न शामिल हैं।

16. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने स्वयं यूक्रेन में सक्षम न्यायालयों की अधिकारिता को प्रस्तुत किया था जब उसने नाबालिग बच्चे से मिलने के अधिकार की मांग करते हुए विन्नित्सिया नगर परिषद से संपर्क साधा था। अपीलार्थी ने विन्नित्सिया नगर परिषद द्वारा उसे दिए गए मुलाकात के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नाबालिग बच्चे को यूक्रेन से अवैध रूप से निकाल कर भारत ले आया, जो उस समय केवल तीन वर्ष का था। इसलिए, अपीलार्थी को अपने दोषपूर्ण कार्यों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में, ***एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरवंद एम. दिनशॉ***, (1987) 1 एससीसी 42 का अवलंब लिया गया है।

17. यह कहा गया है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध की स्थिति के बावजूद, यूक्रेन के विन्नित्सिया में अस्पताल, स्कूल, परिवहन व अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं सहित सभी संस्थान पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इस संबंध में

यूक्रेन में विभिन्न अधिकारियों द्वारा जारी किए गए संचार पर भरोसा किया गया है, जिसमें विन्नित्सिया नगर परिषद और नागरिक सुरक्षा विभाग शामिल हैं।

18. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

19. अपीलार्थी की चुनौती का आधार इस मुद्दे पर टिका है कि क्या कुटुम्ब न्यायालय को संरक्षकता याचिका पर विचार करने की अधिकारिता थी।

20. सर्वप्रथम, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो नीचे दिया गया है:

> *"9. आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकारिता रखने वाला न्यायालय--*
> *(1) यदि आवेदन नाबालिग व्यक्ति की संरक्षकता के संबंध में है, तो वह उस जिला न्यायालय में किया जाएगा, जिसे उस स्थान पर अधिकारिता प्राप्त है, जहां नाबालिग साधारणतः निवास करता है।"*

21. अभिव्यक्ति '*जहां नाबालिग साधारणतः निवास करता है*' कि व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा ***रुचि माजू*** (पूर्वोक्त) में की गई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रश्न तथ्य और विधि का एक मिश्रित प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका और संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही की प्रकृति में अंतर को भी नोट किया, जहां तक अधिकारिता का विवाद्यक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कार्यवाही पक्षकारों के शपथ पत्र के आधार पर संक्षिप्त प्रकृति की होती है। दूसरी ओर, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत कार्यवाही में, न्यायालय को अधिनियम, सारांश या विस्तृत संदर्भ में जांच करनी होती है कि क्या नाबालिग सामान्य रूप से संबंधित कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता में रहता है। यदि न्यायालय इस

निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके पास अधिकारिता नहीं है, तो वह *नाबालिग* बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में आदेश पारित नहीं कर सकता है। प्रासंगिक उद्धरण यहाँ उद्धृत किया गया है:

> *24. उपरोक्त के पठन मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण करने के लिए इकलौता परीक्षण नाबालिग का सामान्य निवास है। **क्या नाबालिग किसी निश्चित स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहा है या नहीं, यह मुख्य रूप से आशय का प्रश्न है जो इसी क्रम में तथ्य का प्रश्न है। यह सर्वोत्तम रूप से विधि तथा तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो सकता है, लेकिन जब तक अधिकारिता संबंधी तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक यह कभी भी विधि का शुद्ध प्रश्न नहीं हो सकता है, जिसका उत्तर विवाद के तथ्यात्मक पहलुओं की जांच किए बिना नहीं दिया जा सकता है।***
>
> ...
>
> *58. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होती है, जहां कथित बंदी की हिरासत की वैधता की जाँच पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों के आधार पर की जाती है। फिर भी, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में विस्तृत जांच करने से कोई नहीं रोकता जहाँ नाबालिग के कल्याण का प्रश्न है, जो कि न्यायालय के लिए अपनी अभिभावक अधिकारिता (पैरेंस पेत्रिए) का प्रयोग करते समय सर्वोपरि विचार है। इसलिए, उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता में आने वाले मामलों में हिरासत की वैधता निर्धारित करने के लिए अपनी असाधारण अधिकारिता का आह्वान कर सकता है और नाबालिग की अभिरक्षा के विषय में आदेश भी जारी कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय ऐसी अभिरक्षा के लिए परस्पर विरोधी दावों, यदि कोई हो, को कैसे देखता है।*
>
> ...
>
> ***60.* संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत *कार्यवाही से उद्भूत मामलों में, न्यायालय की अधिकारिता इस बात से निर्धारित होती है कि क्या नाबालिग सामान्यतः उस क्षेत्र में निवासरत है जिस पर न्यायालय इस प्रकार की अधिकारिता का प्रयोग करता है। इस प्रकार***

एक ओर रिट न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग से संबंधित अधिकारिता संबंधी तथ्यों और दूसरी ओर* संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम *के तहत न्यायालय के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

61. यह कहने के बाद हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई भी न्यायालय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम *के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, वह मामले में संक्षिप्त जांच करने और उचित आदेश पारित करने का विकल्प चुन सकता है,* ***बशर्ते कि वह अधिनियम की धारा 9(1) के तहत नाबालिग की अभिरक्षा हेतु याचिका पर विचार करने में सक्षम हो।*** *यह धनवंती जोशी बनाम माधव उंडे [(1998) 1 एससीसी 112], में इस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है, जो* संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम *के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था। इस संबंध में निम्नलिखित अंश उपयुक्त है: (एससीसी पृष्ठ 125-26, पैरा 30)...*

62. हमें यह मानने के लिए बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय को संक्षिप्त जांच करनी चाहिए या विस्तृत जांच, यह विवाद्यक तभी उठेगा जब न्यायालय को लगेगा कि उसके पास मामले पर विचार करने का अधिकार है। ***यदि अधिकारिता से संबंधित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो तार्किक परिणाम कार्यवाही को खारिज करने या आवेदन को उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का आदेश होना चाहिए जो उस पर विचार करने में सक्षम हो। जिस न्यायालय के पास अभिरक्षा के लिए याचिका पर विचार करने का अधिकार नहीं है, वह बच्चे को उस देश में वापस भेजने के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर सकता या कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता जहां से उसे भेजा गया है, भले ही ऐसा निष्कासन उस देश में न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन माना जाए।*** *ऐसे निष्कासन से व्यथित पक्षकार, विधिक रूप से उसके लिए उपलब्ध किसी अन्य उपाय की मांग कर सकता है। लेकिन ऐसे पक्षकार को उस न्यायालय के समक्ष कोई निवारण*

स्वीकार्य नहीं होगा जो पाता है कि उसके पास कार्यवाही पर विचार करने का कोई अधिकारिता नहीं है।

[जोर दिया गया]

22. वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 ने यूक्रेन में विवाह किया और बाद में यूक्रेन के कानूनों के अनुसार उनका विवाह विच्छेद हो गया। नाबालिग बच्चे सहित दोनों बच्चे, जिनकी अभिरक्षा वर्तमान अपील का विषय है, यूक्रेन में पैदा हुए थे और वहां के नागरिक हैं।

23. अपीलार्थी ने स्वयं विनीत्सिया नगर परिषद के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें नाबालिग बच्चे से मिलने के अधिकार की मांग की गई थी। तदनुसार, अपीलार्थी ने यूक्रेन में सक्षम न्यायालयों की अधिकारिता को प्रस्तुत किया था। विनीत्सिया नगर परिषद ने दिनांक 15 जुलाई, 2021 को अपने निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी व्यसक बच्चे से दो महीने की अवधि के लिए अपर्यवेक्षित भेंट के साथ ,पर्यवेक्षित भेंट की अनुमति दी।

24. ***लहरी सखामुरी*** (पूर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय को इसी तरह के एक मामले पर विचार करना पड़ा, जिसमें चुनाव लड़ने वाले पक्षकार संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) के स्थायी निवासी थे और वहाँ लंबे समय से निवासरत थे। दोनों बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और अमेरिकी नागरिक थे। उक्त मामले में, अमेरिका में विवाहविच्छेद और अभिरक्षा की कार्यवाही शुरू की गई और उसमें अंतरिम आदेश पारित किए गए। अंतरिम आदेशों के बावजूद, पत्नी बच्चों को भारत ले आई एवं अभिरक्षा हेतु हैदराबाद में कुटुम्ब न्यायालय में याचिका दायर की। कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को लागू करने के लिए पत्नी की ओर से 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' का तर्क उठाया गया था। पति ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव में संरक्षकता याचिका को

खारिज करने की मांग की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने पति द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि नाबालिग बच्चे संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9(1) के संदर्भ में हैदराबाद के स्थानीय निवासी नहीं थे।

25. इन परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्यायालय सौजन्य के सिद्धांत' को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित किया कि बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में विशेष अधिकारिता अमेरिका में सक्षम न्यायलयों की होगी क्योंकि नाबालिग बच्चे अमेरिकी नागरिक थे और अभिरक्षा की कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी थी। प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नवत हैंः

> *"48. यह सत्य है कि इस न्यायालय को सर्वोपरि विचार के रूप में बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना होगा।* ***अमेरिकी न्यायालय की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अमेरिकी न्यायालय ने आदेश पारित करते समय बच्चों के कल्याण के सिद्धांत को ध्यान में रखा है क्योंकि यह दोहराता है कि बच्चों के उचित पालन-पोषण के लिए दोनों पक्षकारों की आवश्यकता है और दोनों नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता का अंतिम निर्णय अमेरिका द्वारा लिया जाएगा, जिसके पास निर्णय लेने का विशेष अधिकार है क्योंकि बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं*** *और प्रत्यर्थी की आपातकालीन याचिका पर दिनांक 9-3-2018 को अभिरक्षा में विशेष रिहाई के साथ अतिरिक्त आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) को अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) की माँ की सहमति के बिना नाबालिग बच्चों की ओर से अमेरिकी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है।* ***अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) अमेरिकी न्यायालय के समक्ष उनके आदेश पर संस्थित की गई कार्यवाही की अवहेलना नहीं कर सकती है और उसे अपने मामले को अग्रसर करने हेतु अपनी पसंद के सॉलिसिटर को नियुक्त करके उन कार्यवाही में भाग लेना चाहिए।***
>
> [जोर दिया गया]

26. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, जहां तक क्षेत्रीय अधिकारिता के विवाद्यक का संबंध है, वर्तमान मामला व्यापक रूप से लहरी सखामुरी (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में आच्छादित होता है।

27. **लहरी सखामुरी** (पूर्वोक्त) में, पत्नी ने **जसमीत कौर** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया था, जिस पर वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने भरोसा किया है। हालांकि, जसमीत कौर (पूर्वोक्त) को इस आधार पर पृथक किया गया था कि चूंकि उसमें नाबालिग बच्चे का जन्म भारत में हुआ था और 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' के सिद्धांत को अपनाया जा सकता था। इस संबंध में, **लहरी सखामुरी** (पूर्वोक्त) में प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नवत हैंः

> *32. जसमीत कौर [जसमीत कौर बनाम नवतेज सिंह, (2018) 4 एससीसी 295: (2018) 3 एससीसी (सिविल) 71] मामले के अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया निर्णय इस कारण से कोई सहायता नहीं कर सकता है कि यह एक ऐसा मामला था जहां एक बच्चा भारत में पैदा हुआ था, जो इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने का एक कारण था कि न्यायालय सौजन्य का सिद्धांत या न्यायालय सुविधा का सिद्धांत अधिकारिता की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं कर सकता है और जब सर्वोपरि विचार बच्चे का सर्वोत्तम हित है, तो यह कार्यवाही में अंतिम निर्धारण का विषय हो सकता है न कि सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अपीलार्थी के कहने पर नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए दायर आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के तहत उचित रूप से खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, भारत में नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संदर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।*
>
> *[जोर दिया गया]*

28. यहाँ एक अन्य पहलू है जो कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करता है कि उसके पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है। अपीलार्थी ने यूक्रेन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय का उल्लंघन करते हुए नाबालिग बच्चे को यूक्रेन से भारत ले आया था। इसलिए, कुटुम्ब न्यायालय ने सही रूप से

टिप्पणी की है कि भारत में नाबालिग बच्चे की उपस्थिति अपीलार्थी के अवैध कार्य का परिणाम था। केवल इसलिए कि नाबालिग बच्चा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत दिनांक 28 जुलाई, 2023 के आदेश के तहत अभिरक्षा में लिए जाने के बाद अपनी मां (प्रत्यर्थी सं.1) के साथ वसंत कुंज, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली में निवासरत है, यह नाबालिग बच्चे को संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 के अनुसार सामान्य निवासी नहीं बनाएगा। अपीलार्थी को अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ***एलिजाबेथ दिनशॉ*** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे को अवैध तरीके से देश से बाहर ले जाता है, तो उसे उसके/उसकी दोषपूर्ण कार्य का कोई लाभ नहीं देगा।

29. गुणागुण पर भी, हमें नहीं लगता कि नाबालिग बच्चा, जो वर्तमान में पाँच वर्ष का है, का अपनी माँ (प्रत्यर्थी सं.1) और उसकी बड़ी बहन, जो यूक्रेन के विन्नीत्सिया में रह रही है, से अलग होना सबसे अच्छे हित में होगा। कुटुम्ब न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए दिनांक 17 नवंबर, 2023 को नाबालिग बच्चे के साथ बातचीत की थी, जिसने प्रत्यर्थी सं.1 के साथ यूक्रेन वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी, और कहा कि वह अपीलार्थी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों से बात नहीं करना चाहता।

30. इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के पास नाबालिग बच्चे की देखरेख के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने दिनांक 29 जनवरी, 2024 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को मुकदमे के खर्च के लिए 1,50,000/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अपीलार्थी ने वित्तीय संकट के कारण उक्त राशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त की है।

31. इसलिए, हमारे विचार में, भावनात्मक और आर्थिक दोनों दृष्टि से, नाबालिग बच्चे का अपनी माँ और बहन से अलग भारत में रहना सर्वोत्तम हित में नहीं होगा।

32. हमारा दृष्टिकोण बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 9(1) और अनुच्छेद 10(2) [संक्षेप में, "सिआरसि"] के अनुरूप प्रतीत होता है।

32.1. अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 9(1) के अनुसार, जहां अभिभावक अलग-अलग रह रहे हैं, बच्चे के निवास स्थान के विषय में निर्णय [इस मामले में, न्यायालयों द्वारा] लिया जाना है।

32.2. अनुच्छेद 10 के खंड (2) के सामंजस्य में, राज्य पक्षकारों को बच्चे और उनके अभिभावकों को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में प्रवेश करने के अधिकार का सम्मान करना आवश्यक है।

33. उपर्युक्त अनुच्छेदों से सुसंगत, हमारा मानना है कि बच्चे का सामान्य निवास स्थान विन्नित्सिया, यूक्रेन है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बच्चा प्रत्यर्थी/माँ के साथ रहना चाहता है। प्रत्यर्थी/माँ और बच्चा, जो यूक्रेन के नागरिक हैं, अपने देश लौटना चाहते हैं। अपीलार्थी को संबंधित यूक्रेनी प्राधिकारियों द्वारा मिलने का अधिकार दिया गया है।

34. इसलिए, हमारे विचार में, देश के अन्य भागों में शत्रुतापूर्ण स्थिति के अध्यारोही, प्रत्यर्थी/माँ और उसके भाई-बहनों के साथ रहना बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि इससे बच्चे को, दी गई परिस्थितियों में, एक सुरक्षित वातावरण मिलता है।

35. यूक्रेन के विन्नित्सिया में मौजूदा स्थिति के संबंध में, भारत संघ के विदेश मंत्रालय की ओर से दायर शपथ-पत्र में, हालांकि यह कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन में स्थिति अनिश्चित और

अस्थिर बनी हुई है, जहां तक विन्नित्सिया का संबंध है, शपथ-पत्र में दिनांक 1 सितंबर, 2023 की एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ समय पहले यानी दिनांक 1 सितंबर, 2023 को विन्नित्सिया में एक हवाई हमला हुआ था। इसके अतिरीक्त, अक्टूबर, 2022 में कीव स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, "भारतीय नागरिकों" को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। हालाँकि, ये दिशा निर्देश प्रत्यर्थी सं.1 और नाबालिग बच्चे पर लागू नहीं होंगे क्योंकि वे दोनों यूक्रेन के नागरिक हैं।

36. तदनुसार, मामले के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी सं. 1 नाबालिग बच्चे के साथ भारत छोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

37. सभी लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

राजीव शकधर
(न्यायाधीश)

19 मार्च, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*